| आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1 | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2 | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3 |
|---|---|---|

# Board of Revenue, Bihar, Patna

Excise Revision Case No.- 16 of 2016

Dist.:-Patna

**PRESENT :- Sunil Kumar Singh, I.A.S.,**
**Chairman-Cum-Member.**

Sanjay R. Kumar - Petitioner/ Appellant

Versus

The Excise Commissioner,
Bihar & Ors - Respondent/ Opp. Party

*Appearance :*

**For the Petitioner : Sri Saryabir Bharti, Advocate.**
**For the OP : Sri Shambhu Prasad, G.P.**

**ORDER**

**20.09.2018** यह पुनरीक्षण वाद उत्पाद आयुक्त के आदेश ज्ञापांक– 877 दिनांक– 25.02.2016 के विरुद्ध दायर किया गया है।

आवेदक को प्रक्षेत्र सं0– 13 (मधुबनी) जिसमें मधुबनी एवं समस्तीपुर जिला में पेट बोतल में देशी शराब को विनिर्माण कर बी.एस.बी. सी.एल. को आपूर्ति करने हेतु कतिपय शर्त्तों के साथ विभागीय पत्रांक– 613 दिनांक– 04.03.2014 के द्वारा देशी शराब के विनिर्माण एवं आपूर्ति करने का अनन्य विशेषाधिकारी की ग्रहिता प्रदान की गयी थी। विशेषाधिकार ग्रहिता की शर्त्त संख्या–7 में उल्लेख है कि– " देशी शराब की 60 यू0पी0 शक्ति के 400 एम0एल तथा 200 एम0एल0 की मात्रा में देशी शराब को विनिर्माण के लिये बिहार देशी शराब बोटलिंग नियमावली, 2006 के अंतर्गत विभागीय अधिसूचना संख्य– 370 दिनांक– 16.05.2006 द्वारा यथा संशोधित कर लाये गये प्रावधान का अनुपालन किया जाना होगा''।

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1 | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2 | आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित 3 |
|---|---|---|

अनन्य विशेषाधिकारी की शर्त्त संख्य– 12 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि शराब के विनिर्माता एवं आपूर्तिकर्त्ता अपने विनिर्माणशाला में पेट बोतल में कम से कम दो दिनों के खपत के समतुल्य देशी शराब का स्कंध बरावर बनाये रखेंगे।

विभागीय आदेश ज्ञापांक– 327 दिनांक– 21.01.2016 के द्वारा अधीक्षक उत्पाद, मधुबनी को 200 एम0एल0 के पेट बोतल में देशी शराब की आपूर्ति शिवहर जिला को करने का आदेश दिया गया था। अधीक्षक उत्पाद, मधुबनी ने अपने पत्रांक– 354 दिनांक– 28.01.2016 के द्वारा सूचित किया है कि मधुबनी जिला में 200 एम0एल0 के पेट बोतल की मांग नहीं रहने के कारण उनके द्वारा 200 एम0एल0 के पेट बोतल का उत्पादन नहीं किया गया है। अतः वे 200 एम0एल0 के पेट बोतल में देशी शराब की आपूर्ति करने में असमर्थ है। अधीक्षक उत्पाद, शिवहर द्वारा भी तत्संबंधी सूचना पत्रांक–87 दिनांक–29.01.2016 द्वारा विभाग को दी गयी।

विशेषाधिकार के शर्त्तों के अनुरुप याचित 200एम0एल0 बोतल की देशी शराब का आपूर्ति नहीं किये जाने के कारण विभागीय पत्रांक– 481 दिनांक– 02.02.2016 के द्वारा मेसर्स संजय आर. कुमार से कारणपृच्छा की गयी। मेसर्स संजय आर. कुमार ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि उन्हें 200एम0एल0 के पेट बोतल में देशी शराब की आपूर्ति करने में सक्षम थे एवं बी.एस.बी.सी.एल. से ओ0एफ0एस मिलने का इंतजार कर रहे थे।

आवेदक को मधुबनी एवं समस्तीपुर जिला के लिए देशी शराब पेट बोतल में सप्लाई करने के लिए लाइसेंस दिया गया था।

लाईसेंस की कंडिका के शर्तो में निम्न प्रावधान है–

8 (क)– अनुज्ञप्तिधारी को उस विनिर्माणशाला से जहाँ उसे अनुज्ञपित के अधीन समय–समय पर शराब बेचने की अनुमति दी गयी हो, अनुज्ञप्ति

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1 | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2 | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3 |
|---|---|---|

प्राप्त थोक विक्रेताओं द्वारा पेश किये गये पारकों में उल्लिखित मात्रा या मात्राओं में और प्रकार/ प्रकारों की शराब की बिक्री के तौर पर आपूर्ति करने के लिये बाध्य होगा।

(ख)– उपर्युक्त शर्त्त–7 में विनिर्दिष्ट शराब की आपूर्ति में चूक करने पर उत्पाद आयुक्त के निदेशानुसार अर्थदंड लगाया जायेगा। अर्थदंड की रकम उतनी तक हो सकती है जो अनुज्ञप्ति प्राप्त थोक विक्रेताओं द्वारा मांगी गयी किन्तु आपूर्ति न की गयी शराब पर लगने वाले उत्पाद कर तथा आपूर्ति में चूक के चलते सरकार को होने वाले राजस्व की हानि की रकम हो।

(ग)– अनुज्ञाधारी, समाहर्त्ता या उत्पाद आयुक्त के आदेशानुसार अन्य किसी अनुज्ञप्तिधारी के विनिर्माणशाला को उस अनुज्ञप्तिधारी के खर्च पर शराब की आपूर्ति करेगा जो निर्धारित मात्रा में शराब की आपूर्ति करने में विफल रहा है। आयुक्त उत्पाद अपने विवेक से ऐसे विफल अनुज्ञप्तिधारी पर अर्थदंड लगा सकते हैं।

(घ)– यदि किसी प्रक्षेत्र के नियुक्त ठेकेदार द्वारा शराब की आपूर्ति नहीं की जा रही हो तो समाहर्त्ता या उत्पाद आयुक्त के आदेश पर उस प्रक्षेत्र के नियुक्त ठेकेदार द्वारा शराब की आपूर्ति नहीं की जा रही हो तो समाहर्त्ता या उत्पाद आयुक्त के आदेश पर उस प्रक्षेत्र के अगल–बगल के प्रक्षेत्र में कार्यरत ठेकेदार द्वारा निर्धारित दर पर उस अनुज्ञप्तिधारी को देशी शराब की आपूर्ति करना बाध्यकारी होगा।

(ड)– अनुज्ञप्तिधारी उन सभी सामान्य या विशेष आदेशों से आबद्ध होगा जो उत्पाद आयुक्त समय–समय पर जारी करें।

दिनांक– 24.07.2018 को दोनों पक्षों को लिखित अभिकथन समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया था। विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा लिखित अभिकथन समर्पित किया गया परन्तु अपीलार्थी द्वारा लिखित अभिकथन समर्पित नहीं किया गया। पुनः पर्षदीय पत्रांक–320 दिनांक– 04.09.2018 द्वारा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को पत्र भेजकर लिखित अभिकथन

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1 | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2 | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3 |
|---|---|---|

समर्पित करने को कहा गया। फिर भी उनके द्वारा लिखित अभिकथन समर्पित नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी वाद के निष्पादन में सहयोग नहीं करना चाहतें है तथा वाद को लंबित रखने चाहतें है।"

स्पष्ट है कि आवेदक को उत्पाद अधीक्षक के आदेश को मानते हुए निश्चित रुप से शिवहर जिला को भी आपूर्ति करना चाहिये था जो उन्होंने नहीं किया, जिस कारण सरकार को राजस्व की क्षति हुई है एवं उनका यह कार्य लाईसेंस के शर्त्त का उल्लंघन है।

सभी पक्षों को सुनने एवं अभिलेख के परीक्षण के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ की उत्पाद आयुक्त के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है एवं आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। आवेदन खारिज किया जाता है।

**लेखापित एवं संशोधित**

25/9/18

**(सुनिल कुमार सिंह)**
अध्यक्ष–सह–सदस्य,
राजस्व पर्षद, बिहार।

28/9/18

**(सुनिल कुमार सिंह)**
अध्यक्ष–सह–सदस्य,
राजस्व पर्षद, बिहार।